राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या - 841/2012/चितौडगढ़

मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्राo लिo, श्रीसती टावर, बी–62, सहकार मार्ग, लालकोठी, जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर (मुद्रांक) वृत भीलवाडा।

<u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अभिभाषकप्रार्थी की ओर से.

.....प्रार्थीगण

.....अप्राथी

......अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/01/2017

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी फर्म द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत—भीलवाडा (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के पत्र संख्या 235 दिनांक 23.01.2012 के विरूद्ध मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 में पारित किये गये मुद्रांक शुल्क निर्धारण के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 05.08.2011 एवं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 19.08.2011 अन्तर्गत कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत प्रार्थी कम्पनी ने अपनी फर्म का समामेलन (अमलगमेशन) करते हुए **"लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लि0"** का **"लाफार्ज इण्डिया प्रा0 लि0"** में किया। समामेलन आदेशानुसार ट्रांसफरर कम्पनी, ट्रांसफरी कम्पनी में समाहित (merge) हो गई। तत्पश्चात दिनांक 11.01.2012 को कलक्टर (मुद्रांक) को पत्र लिखते हुए कम्पनी द्वारा उनका मूल्यांकन निर्धारण करते हुए, समामेलन पर लगने वाले मुद्रांक कर की राशि निर्धारित करने हेतु निवेदन किया। जिसके परिप्रेक्ष्य में कलक्टर (मुद्रांक) ने राज0 मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत अपने पत्रांक 235 दिनांक 23.01.2012 द्वारा मुद्रांक शुल्क निर्धारित करते हुए निम्नानूसार आदेश पारित किया –

''प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करायें गये रेकार्ड के अनुसार लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लि0 का लाफार्ज इण्डिया लि0 में समामेलन (अमलगमेशन) के पूर्व मैसर्स जीoकेoडब्लयूo सीमेन्ट लिo का राजस्थान लाफार्ज सीमेन्ट लिo के रूप में दिनांक 26 फरवरी 2010 को नाम परिवर्तन किया गया है अर्थात मैसर्स जीoकेoडब्ल्यूo सीमेन्ट लिo की अचल व अन्य सम्पत्ति का लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लिo में हस्तानान्तरण हुआ है क्योंकि धारित भूमि एवं अन्य सम्पत्ति वर्तमान में भी मैसर्स जीoकेoडब्ल्यूo सीमेन्ट लिo के नाम ही दर्ज रिकार्ड है।

प्रस्तुत रिकार्ड एवं उप पंजीयक निम्बाहेडा से पत्र क्रमांक पंजीयन / 2011 / 211 दि. 06.01.12 के आधार पर कलक्टर मुद्रांक, भीलवाडा ने प्रश्नगत सम्पत्ति का हस्तानान्तरण मानते हुए निम्नानुसार मालियत निर्धारित की :--

101/17

लगातार..... 2

2 -

गांव का नाम	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि बाजार दर (प्रति बीघा से)	भूमि का मूल्यांकन
ग्राम भावलिया	645 बीघा	3,79,500 / -	24,47,77,500/-
ग्राम मंगरोल	92 बीघा	3,54,200 / -	3,25,86,400 / -
ग्राम रामपुरा	4 बीघा	1,70,775/-	6,83,100 / -
कुल योग			27,80,47,000 / -
. दीवार का मू	6,00,000.00		

दीवार का मूल्यांकन 2000 मीटर X 300 =
AUTHORIZED SHARE CAPITAL = 1,5

= 1,50,00,000.00

= 1,20,12,000.00

निगरानी संख्या – 841/2012/चितौडगढ

4. Ordinary Share Valuvation

मर्जर होने वाली कम्पनी की सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन 30,56,59,000.00

- मैसर्स जी.के.डब्ल्यू. सीमेन्ट लि0 का राजस्थान लाफर्ज सीमेन्ट लि. में नाम परिवर्तन पर 5 प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक कर रूपये 1,52,82,950/- एवं सरचार्ज रूपये 15,28,300/-
- मैसर्स राजस्थान लाफार्ज सीमेन्ट लि. का लाफार्ज इण्डिया लि. में हुए अमलगमेशन पर 4 प्रतिशत की दर से देय मुद्रांक कर रूपये 1,22,26,360 / – एवं सरचार्ज 12,22,640 / –

(राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(20)एफडी / टैक्स / 2005–216 दिनांक 24.03.2005 के अनुसार कम्पनी के अमलगमेशन पर 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय है)

परिणामस्परूप प्रश्नगत सम्पत्ति पर कुल मुद्रांक कर रूपये 2,75,09,310/-एवं सरचार्ज 27,50,940/- रूपये कुल राशि रूपये 3,02,60,250/- निर्धारित करते हुए कलक्टर मुद्रांक ने अपने पत्र दिनांक 23.01.2012 द्वारा मूल्यांकन आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी कम्पनी ने आरोपित राशि जरिये चैक/डी.डी. दिनांक 30.01.2012 को अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराते हुए अधिनियम की धारा 65 के तहत कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत करी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपने पूर्व नाम "जी.के.डब्ल्यू सीमेन्ट लि0" का नाम परिवर्तित करते हुए "लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लिमिटेड" में किया एवं इस हेतु सक्षम स्तर भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पश्चिम बंगाल द्वारा दिनांक 26.02.2010 को स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। कम्पनी के पूर्व में एवं वर्तमान में कार्यरत निदेशकगण समान है एवं कम्पनी के अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है, ना ही कम्पनी के शेयर केपीटल में भी किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है। कम्पनी के डायरेक्टरों में भी कम्पनी का नाम परिवर्तन के पश्चात किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः यह सम्पत्ति अथवा लीज हस्तानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय निगरानी संख्या 747 / 12 / जयपुर मैसर्स अक्श आप्टीफाइबर लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 31.01.2013, निगरानी संख्या 475/2007/बीकानेर मैसर्स जे.के. सेरेमिक्स प्रा.लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.09.2007 RRT-2008(1)262, अपील आबकारी 2235/2011/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि. बनाम आबकारी विभाग निर्णय दिनांक 11.01.2013, निग0सं० 130/2014/जयपुर मैसर्स क्लासिक नेचुरल स्टोन्स निर्णय प्रा.लि. बनाम सरकार दिनांक 01.01.2016, निगरानी संख्या 2020 / 2012 / जयपुर मैसर्स हाईस्ट्रीट फिलाटैक्स लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.03.2014 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट पिटीशन संख्या 2579/2015 हिन्दुस्तान जिंक लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17.03.2015 उद्धरित

निगरानी संख्या – 841/2012/चितौडगढ़

करते हुए कलक्टर मुद्रांक के मूल्यांकन आदेश दिनांक 23.01.2012 को अनुचित बतलाते हुए उसे अपास्त करने का निवेदन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

- 3 -

साथ ही अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत ''लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लिमिटेड" का समामेलन "लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि." में वर्ष 2011 में किया गया है एंव तत्समय राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 21(iii) अनुसार केवल मात्र कम्पनी के शेयर ट्रांसफर (चल सम्पत्ति) पर मुद्रांक शुल्क नियमानुसार 4 प्रतिशत लागू होता है एवं आर्टिकल 21 के स्पष्टीकरण संख्या (ii) से स्पष्ट है कि अन्तरणकर्ता (Transferor) कम्पनी की कुल अंश पूंजी अथवा समामेलन के पश्चात जो अंश पूंजी ट्रांसफरर कम्पनी से ट्रांसफरी कम्पनी में आयी है, उसके एक्सचेंज के फलस्वरूप ट्रांसफरर कम्पनी के द्वारा जितने शेयरों का आवंटन किया है उसकी मालियत के अनुसार और उक्त समामेलन पेटे यदि किसी प्रतिफल की राशि का आदान प्रदान हुआ है तो वह आर्टिकल 21(iii) के अनुसार मार्केट वैल्यू होगी और उक्त स्पष्टीकरण संख्या (ii) के अनुसार ही समामेलन पर उक्त शेयर केपीटल / प्रतिफल की राशि पर मुद्रांक कर की देयता निर्धारित की जायेगी। अचल सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2014 जो कि दिनांक 14.07.2014 से राजस्थान राज्य में लागू हुआ है, पर मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है, जो भूतलक्षी नहीं है। दिनांक 14.07.2014 से पूर्व केवल मात्र शेयर केपीटल जो कलक्टर मुद्रांक के आदेशानुसार 1,50,00,000 /- + 1,20,12,000 /-योग 2,70,12,000 / – पर वर्ष 2011 में मुद्रांक कर की देयता है एवं दिनांक 14.07.2014 में पारित वित्त विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि इस प्रकरण में केवल मात्र अन्तरणकर्ता कम्पनी की अंश पूंजी की मालियत पर ही 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक देयता बनती है। चूंकि प्रार्थी कम्पनी द्वारा सृर्जित मांग राशि अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराई है, अतः जमा राशि में से उसकी कुल अंश पूंजी पर लगने वाले मुद्रांक कर का समायोजन करते हुए शेष राशि मय ब्याज के प्रार्थी कम्पनी को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी का नाम परिवर्तन हो जाने से इसके विधान में परिवर्तन किया गया है, जिस पर मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुद्रांक / पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। कम्पनी पूर्व में एक लिमिटेड कम्पनी थी एवं बाद में उसका अस्तित्व प्राईवेट लिमिटेड हो जाने से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 के अनुसार प्रार्थी पर नियमानुसार 4 प्रतिशत मुद्रांक कर एवं सरचार्ज देय है। यह प्रकरण स्पष्ट रूप से ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में आता है, जिस पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक / पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में कम्पनी का नाम ''जी.के.डब्ल्यू. सीमेन्ट लिमिटेड'' था, तत्पश्चात उसका नाम बदलकर ''राजस्थान लाफार्ज सीमेन्ट लिमिटेड'' किया गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि पूर्व कम्पनी ने भारतीय कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 21 के तहत नाम परिवर्तन किया है। कम्पनी एक्ट की धारा 21 व 23 उद्धरित करना समीचीन होगा :--

21. Change of name by Company-

"A Company may, by special resolution and with the approval of the Central Government signified in writing, change itsname: Provided that no such approval shall be required where the only change in the name of a company is the addition thereto or as the case may be, the deletion therefrom of the word "private", consequent on the conversion in accordance with the provisions of this Act of a public company into a private company into a public company".

23. Registration of change of name and effect thereof-

- 4 -

(1) Where a company changes its name in pursuance of Section 21 or 22, the Registrar shall enter the new name on the register in the place of the former name, and shall issue a fresh certificate of incorporation with the necessary alterations embodies therein; and the change of name shall be complete and effective only on the issue of such a certificate.

(2) The Registrar shall also make the necessary alteration in the memorandum of association of the company.

(3) The change of name shall not effect any rights or obligations of the company, or render defective any legal proceedings by or against it; and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the company by its former name may be continued by or against the company by its new name.

इस प्रकरण में ट्रांसफर आफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट का प्रकरण ही नहीं बनता है क्योंकि कम्पनी की भूमि लीज की प्रतीत नहीं होती है। पूर्व में भी कम्पनी एक "लिमिटेड" कम्पनी थी तथा नाम परिवर्तन के पश्चात भी वह एक "लिमिटेड" कम्पनी है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसके स्वरूप/विधान में किसी प्रकार का कोई विधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि कम्पनी के निदेशकगण पूर्ववत ही है, जिनके द्वारा किसी प्रकार की आस्तियां एवं दायित्व हस्तान्तरित नहीं किये गये है। इस संबंध में भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, पश्चिम बंगाल) द्वारा दिनांक 26.02.2010 को प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। केवल मात्र नाम परिवर्तन होने से सम्पत्ति हस्तानान्तरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। अतः इस बिन्दु पर कलक्टर मुद्रांक द्वारा आरोपित 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क रूपये 1,52,82,950/– एवं सरचार्ज रूपये 15,28,300/– अविधिक एंव अनुचित होने के कारण अपास्तनीय योग्य होने से अपास्त किया जाता है।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय निगरानी संख्या 2020 / 2012 / जयपुर मैसर्स हाईस्ट्रीट फिलाटैक्स लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.03.2014 का सुसंगत संक्षेप निम्नानुसार है :--

"Rajasthan Stamp Act, 1998 - Section 51 and Indian Companies Act, 1956 - Section 21 and 23 - When company has not transferred its assets and liabilities but Board of Director after taking permission for change of name of the company, submitted amended lease deed for registration. In absence of transfer of property, stamp duty is not attracted. In this case, Board of directors of the Company after taing permission, changed the name of the company from M/s Unilag Werar (India) Ltd. to M/s High Street Filatex Ltd. The Collector (Stamps) treating this transaction as transfer of lease by way of assignment determined the market value of the property amounting to Rs. 1,08,03,555/- and charged the stamp duty as per the Conveyance Rate. Whereas, in this case company has not transferred the assests and liabilities of the Company but Board of Directors after taking permission for change of name of company, submitted amended lease deed for registration. In absence of transfer of the property, stamp duty is not attracted."

Jun + 117

लगातार..... 5

निगरानी संख्या - 841/2012/चितौडगढ़ - 5 -

उसके पश्चात ''राजस्थान लाफार्ज सीमेन्ट लिमिटेड'' का समामेलन (Amalgamation) माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011 में कम्पनी अधिनियम की धारा 391 से 394 के तहत ''लाफार्ज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड" में हो गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 द्वारा कम्पनी के अमलगमेशन पर 4 प्रतिशत की मुद्रांक कर देयता बनती है।

वर्ष 2011 की स्थिति में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 21(iii) का विवरण निम्नानुसार है :--

21. Conveyance as defined by section 2(xi)-

(i).....

(ii).....

(iii) If relating to amalgamation of compaines by the order of the High	Ten percent of the market value of the property.
Court under Section 394 of the	
Companies Act 1956 (Act No. 1 of	
1956)	(राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना
Explanation : (ii) For the purpose of	क्रमांक एफ.2(20)एफडी / टैक्स / 2005
clause (iii), the market value of the	-216 दिनांक 24.03.2005 के अनुसार
property shall be deemed to be the	कम्पनी के अमलगमेशन पर 4 प्रतिशत की
amount of total value of shares issued	
or allotted by trnasferee Company,	दर से मुद्रांक कर देय है) (10 प्रतिशत से
either in exchange or otherwise, and	घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई)
the amount of consideration, if any,	
paid for such amalgamation.	

राजस्थान विधानसभा में पारित वित्त विधेयक 2014 के अनुसार दिनांक 14.07.2014 से अनुच्छेद 21(iii) की स्थिति निम्नानुसार है :--

21. Conveyance as defined by section 2 (xi),-

(i).....

(ii)..... (iii) if relating to the order under Two percent on that part of the net worth of the transferor company which section 394 of the Companies Act, is equal to the proportion the value of 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or 44-A of the Banking the immovable property of the section transferor company situated in the Regulation Act, 1949 (Central Act No. of State of Rajasthan bears to the value of of 1949) 10 in respect amalgamation, demerger or the whole of immovable property of reconstruction of a company. the transferor company, in addition to the stamp duty paid on the instrument elsewhere, if any. (vi).....

Inserted by Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014) (w.e.f. 14.07.2014)

उपरोक्तानूसार स्पष्ट है कि अचल सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क दिनांक 14.07.2014 से लागू की गई है, ना कि भूतलक्षी प्रभाव से।

प्रार्थी कम्पनी ने मांग राशियों को अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराते हुए उप पंजीयक, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को अपने पत्र दिनांक 30.01.2012 द्वारा निम्नानुसार सम्बोधित किया है :--

"This has reference to the letter bearing No. F.7(507)(7)Legal/11/2002 dated 28.11.11 issued by the office of the Inspector General Registration & Collector (Stamp), Rajasthan, the Deputy Inspector General Registration & Collector (Stamp), Bhilwara, Camp Ajmer, Rajasthan issued a letter dated 23-01-2012 regarding assessment of stamp duty under section 35 of Rajasthan Stamp Act 1998 for transfer of the assets of Lafarge Rajasthan Cement Ltd. in the name of Lafarge India Pvt. Ltd. as per the scheme of amalgamation approved by the Bombay High Court and Kolkata High Ster Court.

लगातार

The Stamp duty has been assessed by the Ltd. Authority in the following manner.

- 6 -

1. With regard to the change of name of M/s	Rs.
GKW Cement Ltd. as M/s Lafarge Rajasthan	
Cement Ltd. @ 5% of the total value of asses, the	
payable Stamp Duty assessed is as>	1,52,82,950.00
and Surcharge is as>	15,28,300.00
Total>	1,68,11,250.00
2. With regard to the amalgamation of M/s	
Lafarge Rajasthan Cement Ltd. into M/s Lafarge	
India Pvt. Ltd. @ 4% of the total value of assets,	
the payable Stamp Duty assessed is as>	1,22,26,360.00
and Surcharge is as>	12,22,640.00
Total>	1,34,49,000.00

It is humbly submitted that M/s GKW Cement Ltd. was renamed as Lafarge Rajasthan Cement Ltd. vide incorporation certificate dated 6th February 2010, and no transfer of immovbale properties has taken place except change of name of the company. As per law no stamp duty is payable in such case. Thereofore, the assessment of stamp duty in case of change of name of the company is not proper and not supported by law.

It is pertinent to mention here that we has already brought on record before the concerned Revenue authority regarding chage of name of GKW Cement Ltd. to Lafarge Rajasthan Cement Ltd. vide our letter dated 26-06-2010 addressed to Ld. Tehsildar, Nimbahera and subsequently to the Ld. District Collector, Chiittaurgarh vide our letter dated 23.02.2011 wherein it was specifically mentioned that the name of GKW Cement Ltd. changed to Lafarge Rajasthan Cement Ltd. and a fresh Certificate of Incorporation bearing No. SRN A79015236 dated 26.02.2010 was issued by the Registrar of Companies, West Bengal. There is no change except the name of the company. Even the directors and sharholders before and after change of name remain unchagned. Therefore, no stamp duty is payable in such case.

It is further submitted that while assessing the stamp duty on amalgamation of Lafarge Rajasthan Cement Ltd. with Lafarge India Pvt. Ltd., the share capital of the erstwhile Lafarge Rajasthan Cement Ltd. has been reckoned for the levy of stamp duty thereon. It is humbly submitted that shares are "goods" whithin the meaning of the Sale of Goods Act, 1930 and hence are movable property. The transfer of movable property under the Rajasthan Stamp Act, 1998 does not attract stamp duty at the same rates as conveyance of immovable property.

In any event, we would like to point out that the authorized share capital as well as the issued, subscribed and paid up share capital cannot both be clubbed together as the subject matter of asessment. The share capital of Lafarge Rajasthan Cement Ltd. was already held by Lafarge India Pvt. Ltd. and its nominee prior to the merger. Further, as per clause B-11, Part B of the Scheme of Amalgamation, upon merger/amalgamation the said share capital stand cancelled. Therefore, there was no transfer of share capital upon the merger hence the question of levying stamp duty on a transaction which did not take place is misconceived and bad in law.

However, we are depositing the stamp duty as per assessment letter bearing No. 235 dated 23.01.2012 without prejudice to our rights under section 65 of the Rajasthan Stamp Act 1998 or any other legal remedy available to us in law for refund of the excess amount paid towards stamp duty as assessed in the letter under reference.

ami-ui/117

लगातार..... 7

Accordingly, please find enclosed herewith cheque No. 005371 dt. 30.01.2012 drawn on HDFC Bank Ltd. for Rs. 1,68,11,250.00(Rupees One Crore Sixty Eight Lakhs Eleven Thousand Two Hundred Fifty only) towards the payment of Stamp Duty on change of name of M/s GKW Cement Ltd. to Lafarge Rajasthan Cement Ltd. and cheque No. 005372 dt. 30.01.2012 drawn on HDFC Bank Ltd. for Rs. 1,34,49,000.00 (Rupees One Crore Thirty Four Lakhs Forty Nine Thousand only) towards the payment of Stamp Duty on transfer of assets of M/s Lagarge Rajasthan Cement Ltd. due to its amalgamation/merger into Lagarge India Pvt. Ltd. without prejudice to our rights and contentions herein above."

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों, मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 21(iii), दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी वित्त विधेयक, भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, पश्चिम बंगाल) द्वारा दिनांक 26.02.2010 को जारी प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अपना विस्तृत जवाब दि. 30.01.2012 का अध्ययन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मैसर्स GKW Cement Ltd. का नाम परिवर्तन मैसर्स लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लि. में किये जाने पर कोई मुद्रांक कर की देयता नहीं बनती है, इस बिन्दु पर कलक्टर मुद्रांक द्वारा नाम परिवर्तन पर मुद्रांक शुल्क आरोपित करना विधि विरूद्व है।

मैसर्स लाफार्ज राजस्थान सीमेन्ट लि. का मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रा.लि. में कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 394 के तहत सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के आदशों के परिप्रेक्ष्य में समामेलन (Amalgamation) किया गया है एवं तत्समय मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 21(iii) एवं स्पष्टीकरण (ii) का उपरोक्तानुसार अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि इस बिन्दु पर केवल मात्र अन्तरणकर्ता की कुल अंशपूंजी जो कलक्टर मुद्रांक द्वारा रू0 2,70,12,000 / – (AUTHORIZED SHARE CAPITAL = 1,50,00,000.00 + ORDINARY SHARE VALUVATION = 1,20,12,000.00) मूल्यांकित की गई है, के अनुसार मूल्यांकित राशि पर ही नियमानुसार 4 प्रतिशत मुद्रांक कर एवं तदनुसार सरचार्ज देयता का दायित्व बनता है।

परिणामस्वरूप कलक्टर मुद्रांक के मूल्यांकन आदेश दिनांक 23.1.2012 को अपास्त करते हुए उपरोक्तानुसार निर्देशों के साथ प्रकरण कलक्टर मुद्रांक, भीलवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त पैरानुसार वर्णित आदेशों की पालना करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अपना विस्तृत आदेश इस निर्णय प्राप्ति के दो माह के भीतर पारित करें।

निर्णय प्रसारित् किया गया।

(राजीव चौधरी) सदस्य

23.1. 2017 (मदन लाल) सदस्य